

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/से0नि0/2019/44

दिनांक:- 09-1-2019

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	ली.सी. के.ए. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	हनुमानगढ़	06.01.59	27.06.83	31.01.19
2	मुकुल रानी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	हनुमानगढ़	05.02.59	12.09.83	28.02.19
3	रेमायम्मा पी.के. महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-प्रथम	10.01.59	14.06.82	31.01.19
4	मेरी जौन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	भीलवाडा	01.04.59	09.07.84	31.03.19
5	जैसी वरगिस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	10.05.59	09.06.82	31.05.19
6	ओम कुमारी व्यास, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	10.06.59	12.07.87	30.06.19
7	लिल्ली एम.के., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	31.05.59	01.02.84	31.05.19
8	रीटा टर्नर, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	27.06.59	12.09.86	30.06.19
9	सरस्वती अम्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	21.02.59	21.06.82	28.02.19
10	अनम्मा वी.सी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	टोंक	26.03.59	25.06.85	31.03.19
11	मोली वर्गिस, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झुन्झुनू	10.01.59	25.07.79	31.01.19
12	सोसम्मा के.जी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	नागौर	04.01.59	22.06.83	31.01.19
13	जैनम्मा एम.के., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	राजसमन्द	25.03.59	26.08.86	31.03.19
14	पुष्पा देवी सामरिया महिला स्वास्थ्य दर्शिका	राजसमन्द	04.04.59	30.08.86	30.04.19

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

sd -

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर/जोधपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक महाविद्यालय एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ, राज0।
4. अधीक्षक, जे. के. लोन चिकित्सालय, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़/जयपुर-प्रथम,द्वितीय/भीलवाडा/कोटा /जोधपुर/टोंक/राजसमन्द/दौसा/चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,देदगढ़(राजसमन्द)/चाकसू(जयपुर)/नोहर (हनुमानगढ़)/माण्डलगढ़(भीलवाडा)/सालावास,शेरगढ़(जोधपुर)/टोंक/दौसा/चित्तौड़गढ़।
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटखावदा(जयपुर)/जलीन्द्रा (भीलवाडा)/झंवर, सालावास, सेतरावा, शेरगढ़(जोधपुर)/नगर परिवार कल्याण केन्द्र, जुनीमण्डी (जोधपुर)।
9. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश/निजी पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर